कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

कार्यालय समन्वयक, बीएसटीसी (सामान्य) / बीएसटीसी (संस्कृत)

प्रवेश पूर्व परीक्षा–2017

Website: www.bstc2017.com, www.bstc2017.org email: bstc2017uok@gmail.com

क्रमांक– एफ.(–)बीएसटीसी / कोविको / 2017 / 756 दिनांकः 14.06.2017

–ः काउंसलिंग हेतु विस्तृत विज्ञप्ति ः–

बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) प्रवेश पूर्व परीक्षा–2017 में प्रविष्ठ हुए सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ मार्क्स से परिणाम जारी किया गया है तथा तथा बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी काउन्सलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों का प्रवेश उनके द्वारा चुने गये महाविद्यालय विकल्प को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेणी, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक एवं उपलब्ध सीटों के अनुसार होगा। प्रथम चरण में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय रिपोर्टिंग तथा अपवर्ड मूवमेंट होने के पश्चात् रिक्त रही सीटों पर पहले चरण में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके तथा महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प दे चुके शेष रहे अभ्यर्थियों में से मेरिट अनुसार महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा। अभ्यर्थी बीएसटीसी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (**Choice**) में अधिकाधिक विकल्प (**Choice**) दें। संस्थान / महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (**Choice**) की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अतः अभ्यर्थी अधिकाधिक विकल्प (**Choice**) दें। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन के लिए विकल्प भरने हेतु दुबारा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

बीएसटीसी (सामान्य) एवं बीएसटीसी (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाईन काउंसलिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाने, संस्थान / महाविद्यालय चयन, आवंटन तथा रिपोर्टिंग कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

विवरण	दिनांकवार कार्यक्रम
ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण करवाना (रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रू. 3000 / – ऑन–लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक में ISUREPAY के माध्यम से भी कर सकेगें।)	15.06.2017 से 25.06.2017
ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु उक्त माध्यम से रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण पश्चात् शुल्क जमा करवाना (बैंक के माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा की स्थिति में– बैंक लेन–देन समय सीमा तक)	15.06.2017 से 26.06.2017
महाविद्यालय / संस्थान चयन हेतु ऑनलाईन विकल्प भरना	16.06.2017 से 27.06.2017
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय / संस्थान की सूचना	29.06.2017
प्रवेश हेतु शेष राशि बैंक में जमा करवाना	30.06.2017 से 07.07.2017
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय / संस्थान में रिपोर्टिंग	30.06.2017 से 08.07.2017
अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन	10.07.2017 से 11.07.2017 तक
अपवर्ड मूवमेन्ट पश्चात् आवंटित महाविद्यालय / संस्थान की सूचना	13.07.2017
अपवर्ड मूवमेन्ट पश्चात् आवंटित महाविद्यालय / संस्थान में रिपोर्टिंग	14.07.2017 से 17.07.2017 तक

रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि रू. 3000 / – उपरोक्त वर्णित तिथियों में ऑन–लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक में ISUREPAY के माध्यम से जमा किया जायेगा।

नोटः– उक्त पाठ्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति में शुल्क निर्धारण हेतु राज्य सरकार स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः शेष शुल्क सम्बन्धी विवरण पृथक से उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसे इस कार्यालय की उक्त उल्लेखित वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा। कृपया उक्त वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

जो अभ्यर्थी बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हर दृष्टि से पात्र है वहः—

अ. कार्यालय की वेबसाईट पर अपना अनुक्रमांक, जन्म तिथि, मोबाईल नं., काउंन्सलिंग सीरीयल नं इत्यादि अंकित कर काउंसलिंग के लिए पंजीकृत होकर रू. 3000/— की पेमेन्ट इन्वॉइस प्रिन्ट करें। पेमेन्ट इन्वॉइस में अंकित चालान संख्या तथा अनुक्रमांक के आधार पर ऑन—लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट /क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक में ISUREPAY के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर ट्रांजेक्शन आई.डी. (Transaction I.D.) प्राप्त करें।

ब. उपरोक्त वर्णित तिथियों तक कार्यालय की वेबसाईट पर अपना अनुक्रमांक, चालान संख्या एवं ट्रांजेक्शन आई.डी. (Transaction I.D.) अंकित कर ऑप्शन फॉर्म (विकल्प पत्र) में महाविद्यालयों का चयन करें।

अभ्यर्थी ध्यान दें कि अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑन—लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक में ISUREPAY के माध्यम से ही जमा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सीधे कार्यालय में नकद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर इत्यादि के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी के उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर रजिस्ट्रेशन के रूप में जमा राशि रू. 3000/— उसके द्वारा देय कुल शुल्क राशि में समायोजित की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी संस्थान/महाविद्यालय आवंटन के पश्चात् भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा राशि रू. 3000/— में से रू. 600/— कटौती कर शेष राशि रू. 2400/— लौटायी जावेगी।

इसी प्रकार किसी अभ्यर्थी को सीटों की सीमितता या उसके द्वारा दिये गये विकल्पों में से कोई भी संस्थान/महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो उसके द्वारा जमा कराये गये रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि रू. 3000/— में से राशि रू. 100 /— की कटौती कर शेष राशि 2900/— लौटायी जावेगी।

अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाते समय वांछित सूचनाएं सही भरें तथा बैंक अकाउन्ट नम्बर, खाता धारक का नाम, बैक का नाम एवं IFSC CODE भली भांति जांच कर भरें। किसी भी संस्थान में अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क की राशि नियमानुसार कटौती कर लौटा दी जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान दें:— सफल अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने हेतु तय तिथि तक ऑन—लाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बेंकिंग के अतिरिक्त आईसीआईसीआई बैंक में ISUREPAY के माध्यम से शुल्क जमा नहीं करवाने या काउंसलिंग में भाग नहीं लेने की स्थिति में उन्हे प्रवेश हेतु आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

अपवर्ड मूवमेन्टः— आवंटित संस्थान/महाविद्यालय में नॉन रिपोर्टिंग के कारण यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो काउसंलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी अर्थात् जिन्होने निर्धारित तिथि तक आंवटित संस्थान/महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्राप्त कर लिया है तथा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन उपलब्ध सुविधा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन देते हैं, तो उनको, उनके द्वारा पूर्व में संस्थान/महाविद्यालय चयन हेतु दिये गये वरियता क्रम ऑप्शन अनुसार तथा मेरिट अनुसार महाविद्यालय मे उपलब्ध रिक्त स्थान पर अपवर्ड मूवमेन्ट किया जायेगा। ध्यान रहे इस सुविधा हेतु केवल ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिन्होने निर्धारित समयावधि तक आवंटित संस्थान/महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दी हो तथा अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति हाँ (Yes) का ऑप्शन ऑनलाईन दिया हो।

अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि वेबसाईट पर उपलब्ध करवायी गयी "सामान्य दिशा—निर्देशिका" के अनुसार बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अपनी पात्रता की स्वंय जांच करें तथा सभी दृष्टिकोण से प्रवेश हेतु पात्र हो तो ही काउंसलिंग मे भाग लें। बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) पाठ्यक्रम में पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष जो उनके लिए लागू हो, वांछित प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस वर्ष परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी ध्यान दें कि उनकी सीनियर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष परीक्षा का परिणाम उनके संवर्ग हेतु वांछित प्राप्तांक प्रतिशत सहित दिनांक 08.07.2017 तक घोषित कर दिया गया हो तथा इसमें इस तिथि तक अर्हता परीक्षा में पूरक या कोई पेपर बकाया नहीं हो। दिनांक 08.07.2017 के पश्चात् पात्र होने वाले अभ्यर्थी बीएसटीसी (सामान्य) एवं (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगें। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होते हुए भी अभ्यर्थी किसी प्रकार काउंसलिंग में भाग लेकर यदि प्रवेश ले लेते हैं तो ऐसे अपात्र अभ्यर्थी का किसी भी स्तर पर पता लगने पर इस कार्यालय सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय को उसके बीएसटीसी (सामान्य) एवं बीएसटीसी (संस्कृत) में अस्थाई प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसके द्वारा जमा सम्पर्ण शुल्क राशि जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए स्वयं अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा।

ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से संस्थान/महाविद्यालय चयन हेतु विकल्प देने के लिए महाविद्यालयों की सूची एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ इस कार्यालय की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध

होगी। निर्धारित तिथि तक अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थी निम्न प्रकार से ऑनलाईन काउसंलिंग में भाग ले सकेंगें।

उपर्युक्त समयावधि में अभ्यर्थी बीएसटीसी की अधिकृत वेबसाईट www.bstc2017.com एवं www.bstc2017.org पर अधिकतम महाविद्यालयों के लिए विकल्प ऑनलाईन भर दें। अभ्यर्थी की सहायतार्थ राज्य के बीएसटीसी महाविद्यालयों में भी ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु निःशुल्क हेल्प सेन्टर स्थापित किये गये है जहाँ पर अभ्यर्थी निःशुल्क पंजीकरण एवं ऑनलाईन काउंसलिंग कर सकते है। महाविद्यालय चयन हेतु महाविद्यालय विकल्प (**Choices**) देने की कोई सीमा नहीं है। सभी महाविद्यालयों के लिए अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम देते हुए विकल्प दिया जा सकता है। अभ्यर्थी दिये गये विकल्पों के अतिरिक्त यदि वे चाहे तो राज्य के 33 जिलों में से "किन्हीं पाँच जिलों" के नाम वरीयताक्रमानुसार दे सकेंगें ताकि अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प (ऑप्शन) वाले संस्थान/महाविद्यालयों में मेरिट अनुसार अगर आवंटन नहीं होता है तो उसको मेरिट अनुसार यदि सम्भव हो तो इन पांच जिलों में स्थित उसको मिल सकने वाला कोई भी अन्य महाविद्यालय कम्प्यूटर द्वारा रेन्डमली आवंटित किया जा सके। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कहीं भी (Anywhere In Rajasthan) प्रवेश का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इस विकल्प का आशय यह है कि अभ्यर्थी का उसके द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के साथ पांच जिलों (यदि विकल्प दिया गया है तो) में भी प्रवेश नहीं हो रहा है, तो राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित उसको मिल सकने वाला कोई भी महाविद्यालय देखा जायेगा तथा उसकी संवर्ग में प्राप्तांको के अनुसार उसे राज्य का कोई भी महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा। यदि दिये गये विकल्पों (Choices) में महाविद्यालय आवंटित नही होता है, तो वह अपने प्रवेश का अवसर खो देंगे एवं उन्हे प्रवेश हेतु आगे कोई अवसर प्रदान नही किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथियों में ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेकर महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन दिये है, को सूचित किया जाता है कि उनका महाविद्यालय आवंटन परिणाम उनके द्वारा दिये गये महाविद्यालय ऑप्शन एवं बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक एवं श्रेणी के आधार पर उपरोक्त निर्धारित तिथि को जारी किया जायेगा। परिणाम बीएसटीसी की वेबसाईट पर ही उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन सूचना डाक द्वारा नही दी जायेगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे बीएसटीसी (सामान्य)/बीएसटीसी (संस्कृत) जो उनके लिए लागू हो, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वयं अपनी पात्रता का निर्धारण कर एवं यदि वे पात्र है तो आगे उन्हे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी है।

वेबसाईट पर महाविद्यालय आवंटन का परिणाम देखें। यदि आपको संस्थान/महाविद्यालय आवंटित हो गया है तो आप वेबसाईट पर उपलब्ध बैंक चालान को क्लिक कर खोले तथा प्रिन्ट लें एवं राजस्थान में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी सीबीएस बैंक शाखा में निर्धारित तिथि तक बैंक कार्य दिवस में बैंक लेन–देन समयावधि में शेष शुल्क बैंक चालान में दिये खाता संख्या में जमा करवाकर निर्धारित तिथि तक आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देवें।

आवंटित संस्थान/महाविद्यालय में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को संस्थान/महाविद्यालय आवंटन पत्र की वेबसाईट से प्राप्त प्रति जमा शुल्क (काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व जमा रजिस्ट्रेशन शुल्क रसीद तथा संस्थान/महाविद्यालय आवंटन के पश्चात् जमा करवाये गये शेष प्रवेश शुल्क, बैंक चालान की प्रति) दोनों मूल चालान/रसीद की प्रति, इसकी दो सुपाठ्य फोटो प्रतियाँ, दो पासपोर्ट साईज़ फोटो, समस्त शेक्षणिक मूल प्रमाण–पत्र, मूलनिवास प्रमाण–पत्र, उस केटेगरी का मूल प्रमाण–पत्र जिसके आप सदस्य हैं एवं जिसके आधार पर आपका प्रवेश हुआ है तथा इन सभी दस्तावेजों की दो–दो सुपाठ्य सत्यापित प्रतियाँ एवं बीएसटीसी प्रवेश पूर्व परीक्षा के लिए परीक्षा के आवेदन–पत्र की प्रिन्ट प्रति साथ में ले जाना आवश्यक है। राज्य सरकार के आदेशानुसार विशेष वर्ग यथा अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को राजकीय प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय आवंटन होने पर शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवायी गयी अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी के प्रवेश लेने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा पुनः लौटायी जावेगी।

महाविद्यालय में उपस्थिति के समय अभ्यर्थी महाविद्यालय में अपनी ऑनलाईन रिपोर्टिंग करवायें एवं अपने प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के ऑनलाईन कम्प्युटर जनरेटेड प्रवेश स्लिप अवश्य प्राप्त करें। ऑनलाईन रिपोर्टिंग के अभाव में उनके प्रवेश को सुनिश्चित किया जाना संभव नही हो सकेगा।

अभ्यर्थी विशेष ध्यान दे कि यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय–सीमा में समस्त दस्तावेजों सहित उपस्थिति देकर रिपोर्टिंग नही करवाते है तो उन्हे प्रवेश हेतु आगे कोई अवसर प्रदान नही किया जायेगा तथा स्थान को रिक्त मानते हुए उसको आवंटित सीट अन्य अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी को बीएसटीसी पाठ्यक्रम में पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा सीनियर सैकण्डरी का परिणाम दिनांक 08.07.2017 तक अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु वांछित प्राप्तांक प्रतिशत (सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत, राजस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, विकलांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक (इसमें एक अंक भी कम मान्य नही होगा) सहित घोषित होना चाहिये। यदि अभ्यर्थी की गलत सूचना के आधार पर काउन्सलिंग में भाग लेने के फलस्वरूप किसी प्रकार महाविद्यालय आवंटित भी हो गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नही है। ऐसे अभ्यर्थी शेष शुल्क जमा नही करवायें अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी एवं आवंटित महाविद्यालय द्वारा रिपोर्टिंग के समय ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित किया जायेगा एवं साथ ही उनके द्वारा जमा शुल्क राशि भी जब्त की जायेगी। उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में किया जाने वाला अव्यवहारिक पत्र व्यवहार अमान्य होगा एवं पत्र व्यवहार की अधिकता के कारण ऐसे किसी पत्र का कोई जवाब दिया जाना संभव नही हो सकेगा।

<u>बीएसटीसी महाविद्यालयों हेतु सूचनाः–</u>

महाविद्यालय अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में अपने यहाँ हैल्पलाईन सेन्टर स्थापित कर सहयोग करेंगे तथा रिपोर्टिंग हेतु आए विद्यार्थियों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग हेतु बीएसटीसी की वेबसाईट पर उपस्थित College Login को प्रयोग में ले। रिपोर्टिंग हेतु आए विद्यार्थियों की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के आधार पर प्रवेश पात्रता की जांच करें तथा उपरोक्त वर्णित दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा लाये जायेंगे उन्हे जांच कर उनसे संतुष्ट होने पर अभ्यर्थी की ऑनलाईन रिपोर्टिंग करने के पश्चात् प्राप्त प्रवेश स्लिप का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी को उपलब्ध करवाकर उसका प्रवेश सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इन सब कार्यो की पालना नही करने वाले महाविद्यालयों के नाम राज्य सरकार को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किये जायेगे।

(प्रो0 राजीव जैन, समन्वयक)
बीएसटीसी–2017